

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सत्र 2023 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-11 का उत्तर:-

प्रश्न	उत्तर																		
11 (क) क्या कारागार मंत्री बतायेंगे कि वाराणसी, मिर्जापुर व आजमगढ़ मण्डल के अन्तर्गत कारागारों में कुल कितने-कितने कैदियों को रखने की क्षमता है और कितने-कितने कैदी वर्तमान में उक्त कारागारों में निरूद्ध हैं और कितने दोषी हैं?	जी हाँ, वाराणसी, मिर्जापुर एवं आजमगढ़ मण्डल के कारागारों की बंदी क्षमता, निरूद्ध बंदी एवं सिद्धदोष बंदी का विवरण निम्नवत है:- वाराणसी मण्डल <table><tr><th>कुल बंदी निरूद्ध क्षमता</th><th>निरूद्ध बंदी</th><th>सिद्धदोष बंदी</th></tr><tr><td>2730</td><td>6430</td><td>2281</td></tr></table> मिर्जापुर मण्डल <table><tr><th>कुल बंदी निरूद्ध क्षमता</th><th>निरूद्ध बंदी</th><th>सिद्धदोष बंदी</th></tr><tr><td>996</td><td>2390</td><td>374</td></tr></table> आजमगढ़ मण्डल <table><tr><th>कुल बंदी निरूद्ध क्षमता</th><th>निरूद्ध बंदी</th><th>सिद्धदोष बंदी</th></tr><tr><td>2123</td><td>3362</td><td>747</td></tr></table>	कुल बंदी निरूद्ध क्षमता	निरूद्ध बंदी	सिद्धदोष बंदी	2730	6430	2281	कुल बंदी निरूद्ध क्षमता	निरूद्ध बंदी	सिद्धदोष बंदी	996	2390	374	कुल बंदी निरूद्ध क्षमता	निरूद्ध बंदी	सिद्धदोष बंदी	2123	3362	747
कुल बंदी निरूद्ध क्षमता	निरूद्ध बंदी	सिद्धदोष बंदी																	
2730	6430	2281																	
कुल बंदी निरूद्ध क्षमता	निरूद्ध बंदी	सिद्धदोष बंदी																	
996	2390	374																	
कुल बंदी निरूद्ध क्षमता	निरूद्ध बंदी	सिद्धदोष बंदी																	
2123	3362	747																	
(ख) उक्त कारागारों में ऐसे कितने कैदी हैं जो बिना दोषी ठहराए ही 10 वर्षों से अधिक समय से बंद हैं तथा प्रदेश सरकार इनकी रिहाई तथा अन्य विचाराधीन कैदियों की संख्या कम करने के लिए कार्यवाही कर रही है?	वाराणसी, मिर्जापुर एवं आजमगढ़ मण्डल की कारागारों में कुल 12 विचाराधीन बंदी बिना किसी सजा के अथवा दोषी ठहराये 10 वर्षों से अधिक समय से निरूद्ध हैं। कारागार विभाग के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदियों को रिहा किये जाने की व्यवस्था प्राविधानित है। उपरोक्त 12 विचाराधीन बंदी गम्भीर धाराओं में निरूद्ध हैं, विचाराधीन बंदियों के जमानत अथवा रिहाई के संबंध में मा0 न्यायालय का आदेश प्राप्त होने पर कारागार विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है। सी0आर0पी0सी0 की धारा-436(ए) एवं 436(1) के अन्तर्गत विचाराधीन बंदियों को छोड़ने की कार्यवाही प्रदेश की कारागारों द्वारा निरन्तर की जा रही है। विगत एक वर्ष में 347 पात्र विचाराधीन बंदी कारागारों से रिहा किये गये हैं।																		
(ग) यदि हाँ, तो उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	जी हाँ। विवरण संलग्न है।																		

धर्मवीर प्रजापति
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
कारागार विभाग।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सत्र 2023 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-11 के उत्तर का संलग्नक:-

क्र0	कारागार का नाम	बंदी/पिता का नाम, सम्पूर्ण पता थाना, जनपद सहित	अपराध संख्या/चलानी थाना, जनपद सहित	निरुद्धि का दिनांक	रिहाई के सम्बन्ध में किये गये प्रयास
1	जिला कारागार मऊ	(1) अच्छेलाल चौहान पुत्र रमाधार चौहान निवासी-नुरुलहपुर थाना-मधुबन जनपद मऊ	अ0सं0-676/2012 एस.टी.न.-93/ 2013 धारा-302, 307,506 आई.पी.सी. थाना-मधुबन जनपद मऊ	27.10.2012	मा0 उच्च न्यायालय से जमानत खारिज हो चुकी है।
2	जिला कारागार, वाराणसी	(1) धर्मेन्द्र सिंह पुत्र राम अवतार सिंह, डगराडीह, गड़सरा थाना-फूलपुर, वाराणसी	1. 138/2012, धारा-302,506 भा0दं0सं0, फूलपुर जनपद-वाराणसी 2. 140/2012, धारा-3/25, आर्म्स एक्ट थाना-फूलपुर, जनपद-वाराणसी	12.06.2012	—
		(2) सुन्दर मुसहर पुत्र मोती मुसहर, सेखवा, थाना-सोनहन, जनपद-भुआ(कैमूर)	187/2011, धारा-302,394,120बी0,216 भा0दं0सं0, थाना-चन्दौली, जनपद-चन्दौली	18.09.2012	—
		(3) अजीत कोल उर्फ हरिशंकर उर्फ बबल पुत्र बहादुर कोल निवासी-सोनाइल, नौगढ़, जिला-चन्दौली।	1-अ0सं0-103/2005, धारा-147,148,149, 307 भा0दं0सं0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट व 16ए0/20 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप नि0 अधि0 थाना-नौगढ़, जनपद-चन्दौली 2-110/2005 धारा-147,148,149, 307 भा0दं0सं0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट, थाना-नौगढ़ जनपद-चन्दौली 3- 450/2009, धारा-147,148,149,302 भा0दं0सं0, थाना-कोन, जनपद-सोनभद्र 4- 445/2009, धारा-302 भा0दं0सं0, थाना-कोन, जनपद-सोनभद्र 5- 186/2012, धारा-147,148,149,307 भा0दं0सं0, थाना-राबर्ट्सगंज, जनपद-सोनभद्र 6- 477/2012, धारा-3/5/7/25/27 आर्म एक्ट, थाना-चोपन, जनपद-सोनभद्र 7- 475/2012, धारा-147,148,149,307 भा0दं0सं0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट, थाना-कोन, जनपद-सोनभद्र 8- 60/2007, धारा-147,148,149, 307 भा0दं0सं0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट, थाना-पन्नूगंज, जनपद-सोनभद्र 9- 105/2008, धारा-147,148,149,307 भा0दं0सं0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट, थाना-पन्नूगंज, जनपद-सोनभद्र 10- 462/2008, धारा-147,148,149,307 भा0दं0सं0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट, थाना-कोन, जनपद- सोनभद्र	22.08.2012	—

			11- 266 / 2008, धारा-4 / 5 विस्फोटक अधि, थाना-मांची 12- 36 / 2008, धारा-147,148,149,307 भा0दं0सं0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट, थाना-मांची, जनपद- सोनभद्र 13- 34 / 2008, धारा-147,148,149,307 भा0दं0सं0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट, थाना-मांची, जनपद- सोनभद्र 14- 33 / 2008, धारा-4 / 5 विस्फोटक अधि0, थाना-कोन, जनपद-सोनभद्र 15-241 / 2011, धारा-4 / 5 विस्फोटक अधि0, थाना-मांची,जनपद-सोनभद्र 16- 04 / 2008, धारा-4 / 5 विस्फोटक अधि0,थाना-कोन,जनपद-सोनभद्र 15-114 / 2012,धारा-147,148,149,307 भा0दं0सं0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट, थाना-पन्नूगंज, जनपद- सोनभद्र 16-164 / 2011,धारा-4 / 5 विस्फोटक अधि0, थाना- पन्नूगंज, जनपद-सोनभद्र 17- 437 / 2009, धारा-3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट, थाना- पन्नूगंज, जनपद- सोनभद्र		
		(4) श्याम नारायण सोनकर पुत्र शकलू सोनकर बिसौरी, थाना-कोतवाली जनपद-चन्दौली ।	1- 50 / 2012, धारा-147,148,149, 307, 411, 412 भा0दं0सं0, थाना-शहाबगंज, जनपद-चन्दौली । 2- 51 / 2014, धारा-3 / 25 आर्म्स एक्ट, थाना-शहाबगंज,जनपद-चन्दौली । 3-41 / 2012, धारा-459,380,411 भा0दं0 सं0, थाना- शहाबगंज, जनपद-चन्दौली 4-165 / 2012, धारा-394,411 भा0दं0सं0, थाना-बबुरी, जनपद-चन्दौली 5-108 / 2012, धारा-396,412 भा0दं0सं0, थाना-मुगलसराय, जनपद-चन्दौली 6- 924 / 2010, धारा-395, 397, 412 भा0दं0सं0, थाना- सरायलखन्सा, जनपद-मऊ 7- 812 / 2008 धारा-3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट, थाना-चुनार, जनपद-मीरजापुर	20.06.2012	-
3	जिला कारागार, जौनपुर	(1) सोहाग खाँ उर्फ हीलाल उर्फ हीलालुद्दीन पुत्र बाबर खाँ उर्फ मो0 सिद्दीकी निवासी-मेहरचन्डी , थाना-बुवालिआ, जिला-राजशाही (बांग्लादेश)	अ0स0-30 / 05, धारा-302,307,326,120बी आई0पी0सी0 व 3 / 4 वि0प0अधि0 व 150,151 रेलवे अधि0व 14 फारेनर्स एक्ट	23-05-2006	संबंधित न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है ।
		(2) नफीकुल विश्वास पुत्र शाहजहां विश्वास	अ0स0-30 / 05, धारा-302,307,326,120बी आई0पी0सी0 व 3 / 4 वि0प0अधि0 व 150,151	23-05-2006	संबंधित न्यायालय में

		निवासी-धरनीधरपुर, थालेपाडा थाना- खाजीपाडा, जिला-मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल)	रेलवे अधि०व 14 फारेनर्स एक्ट		मुकदमा विचाराधीन है।
4	जिला कारागार, गाजीपुर	(1) सुभाष चौधरी पुत्र चन्द्रिका, निवासी-बीरपुर, थाना- भवरकोल, जनपद-गाजीपुर	अ०सं०-433 / 2011, एस०टी०नं०-114 / 2012 धारा-302 आई०पी०सी०, थाना-भावरकोल, जनपद-गाजीपुर	30.10.2011	मा० न्या० ए०डी०जे०-03 गाजीपुर के समक्ष विचारण चल रहा है।
		(2) गुरदम उर्फ गौतम उर्फ खलीफा पुत्र विक्रमा मुसहर, निवासी-जैतपुरा, थाना-नुआव, जनपद-कैमुर (रामगढ़) राज्य-बिहार	1-अ०सं०-330 / 2012, एस०टी०नं०-1008 / 2012, धारा-3(1) उ०प्र० गैंगस्टर एक्ट, थाना-गहमर, जिला-गाजीपुर	22.08.2012	मा०न्या० स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट, गाजीपुर के समक्ष विचारण चल रहा है।
5	जिला कारागार, सोनभद्र	(1) निर्मला उर्फ बिफनी पत्नी रामसुन्दर निवास-सोमा, थाना-मांची, जिला- सोनभद्र।	अ०सं०-27 / 06, धारा-147,148,149,436, 504,506 आई०पी०सी० व 7 सी.एल.ए.एक्ट चलानी थाना-मांची, जनपद-सोनभद्र।	06.09.2008	सम्बन्धित मा० न्यायालय में विचारण चल रहा है।
		(2) मुन्नू पाल उर्फ कवि जी पुत्र श्री भरत पाल, निवास-विशेश्वरपुर, थाना-नौगढ़, जिला-चंदौली।	अ०सं०-263 / 05, धारा-147,148,149,452, 302,120बी आई०पी०सी०, चलानी थाना- पन्नूगंज, जनपद-सोनभद्र।	26.02.2008	सम्बन्धित मा० न्यायालय में विचारण चल रहा है।
		(3) जमवन्त उर्फ गुरु जी उर्फ रामसजीवन पुत्र श्री जुगुनू सिंह निवास-परसौली, थाना-पन्नूगंज, जिला-सोनभद्र।	1-अ०सं०-27 / 06, धारा-147,148,149,436, 323 ,504,506 आई०पी०सी० व 7 सी.एल.ए. एक्ट, चलानी थाना-मांची, जनपद-सोनभद्र। 2-अ०सं०-436 / 09, धारा-3(1) गैंग० एक्ट चलानी थाना-मांची, जनपद-सोनभद्र।	05.04.2010	सम्बन्धित मा० न्यायालय में विचारण चल रहा है।